(121)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंण्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश

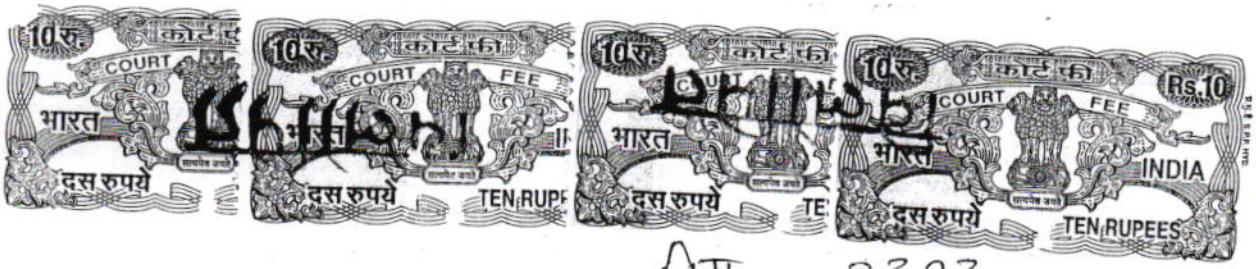

निग - 2323 - II - 16

1. रामखेलावन साकेत पिता श्री पंचा साकेत निवासी ग्राम छिरहटा,तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0
2. रामकरण पाठक पिता श्री रामप्रताप पाठक उम्र 52 साल निवासी महाजन टोला रीवा,तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0

----------अपीलार्थीगण/निगरानीकर्तागण

व ना म

श्रीमती कृष्णा सिहं पत्नी श्री सत्य प्रताप सिहं निवासी खुटेही,तहसील हुजूर,जिला रीवा म0प्र0

---------- प्रत्यर्थी/गैर निगरानीकर्ता

न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग के न्यायालय मे राजस्व अपील कमांक 89/अपील/15–16 रामखेलावन बनाम कृष्णा सिहं मे पारित आदेश दिनांक 12.7.16 के बिरूद्ध निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता

मान्यवर,

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2323–दो/16 **जिला** –रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकार आदि
18.7.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री आर0 एस0 सेंगर उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 89/अपील/15–16 में पारित आदेश दिनांक 12.7.16 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। 2–प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजी न0 144/1/2 रकवा 0.65 एकड़ स्थित साकिम सिपरी तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0 का पूर्व भूमि स्वामी निगरानीकर्ता कमकांक 1 था जो आराजी सीलिंग से अतिशेष घोषित शासकीय आराजी थे जो वादग्रस्त आराजी निगरानीकर्ता कमांक–1 को बंटन आदेश से दिनांक 30.31989 को प्राप्त हुई जिस आराजी को अनुचित तौर से प्राप्त करने के लिये अनावेदक प्रयासरत् रहे जिससे उसके द्वारा जहां पूर्व में ही एक विकय विलेख दिनांक 12.6.81 से वादग्रस्त आराजी को उल्लिखत करा लिया था लेकिन जब उस फर्जी व कूटरचित विकय विलेख से वादग्रस्त आरजी का नामांतरण अनावेदक अपने नाम प्रमाणित करवाने में असफल रहे तब पुनः दिनांक 30.1.90 को निगरानीकर्ता कमांक–1 के नाम से दूसरा विकय विलेख निस्पादित करवा लिया जिस विकय विलेख का कभी कियान्वयन नहीं हुआ मात्र उक्त विकय विलेख के आधार पर नामांतरण पंजी पर अपना नाम दर्ज करवाने का आदेश चोरी छिपे प्राप्त कर लिया था किन्तु उक्त तथ्य प्रकट होने पर उसका कियान्वयन तत् समय अधिकारी कर्मचारियों द्वारा नहीं करवाया	

गया जिस के फलस्वरूप उक्त तथ्य की जानकारी निगरानीकर्ता कमांक –1 को नहीं हुई लेकिन विकय विलेख को छिपाने के उददेश्य से कभी भी राजस्व खसरे में नामांतरण की इक्तला दर्ज नहीं हुई जिससे अनवरत पूर्ववत निगरानीकर्ता कमांक –1 वादग्रस्त आराजी का भूमि स्वामी रहा आया जिससे निगरानीकर्ता–2 ने वादग्रस्त आराजी का पंजीकृत विकय विलेख दिनांक 29.9.14 से वादग्रस्त आरजी को निगरानीकर्ता कमांक 1से कय कर तहसीलदार हुजूर के न्यायालय से दिनांक 5.12.14 को अपने नाम नामांतरण प्रमाणित करवा लिया जिस नामांतरण के विरूद्व गैरनिगरानीकर्ता ने अनुविभागीय अधिकारी हुजूर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत किया, जो अपील 6.11.15 को स्वीकार कर ली गई और तहसीलदार के द्वारा जो निगरानीकर्ता कमांक–2 के नाम नामांतरण प्रमाणित किया गया था उसे निरस्त कर दिया गया था, जिस आदेश के विरूद्व निगरानीकर्तागण अपर आयुक्त रीवा के न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की जो अपील भी दिनांक 12.7.16 से निरस्त कर दी गई उसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी निगरानीकर्तागणों की ओर से प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदकगण के अधिवक्ता को ग्राह्यता पर तर्क सुने । निगरानी में मात्र विधि के बिन्दुओं का निराकरण किया जाता है इस प्रकरण में जब अधिनस्थ न्यायालय ने यह स्वीकार किया है कि विकेता निगरानीकर्ता कमांक–1 को वादग्रस्त आराजी आवंटन से दिनांक 30.3.89 को प्रकरण कमांक 5/अ–19/88–89 से प्राप्त हुई है । तब उक्त आदेश से प्राप्त दिनांक 30.1.90 के विकय विलेख से अंतरित किये जाने का प्रश्न उठाया गया है वह अपने आप विधिक दृष्टि से उचित है कि नहीं ? चूंकि विकेता निगरानीकर्ता कमांक–1 दिनांक 30.3.89 को उक्त भूमि को जब

आवंटन से प्राप्त किया तब निश्चय ही भू–राजस्व संहिता की धारा 165(6) एवं धारा 158(2) के प्रावधान आकर्षित होते हैं और आवंटन से 10 वर्ष के अंदर विक्रय व अंतरण किये जाने के वास्ते कलेक्टर की अनुमति आवश्यक थी अगर गैरनिगरानीकर्ता के द्वारा प्रस्तुत विक्रय विलेख दिनांक 30.1.90 को सत्य भी माना जाय कि विक्रेता ने निष्पादित करवाया है तब भी उक्त विक्रय विलेख से गैरनिगरानीकर्ता को कोई हक व हित हासिल नहीं होते हैं देखिये– राजस्व निर्णय 2011 पेज 9 एवं राजस्व निर्णय 2002 पेज 250 राजस्व निर्णय 2011 पेज 313 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी है कि म0प्र0 शासन की आवंटित भूमि को और कलेक्टर की 10 वर्ष के अंदर बिना अनुमति अंतरण नहीं की जा सकती है, और इस प्रकार के अंतरण से केता को कोई हक अर्जित नहीं होते हैं।

4– उक्त परिप्रेक्ष्य में यह भली भांति प्रमाणि है कि गैरनिगरानीकर्ता को विक्रय दिनांक 30.1.90 के आधार पर कोई हक व हित हासिल नहीं होते हैं क्यों कि कथित विक्रय पत्र के आधार पर गैरनिगरानीकर्तागण की ओर से की गई नामांतरण कार्यवाही प्रारंभ से ही शून्य थी और ऐसे स्वत्व विहीन व्यक्ति द्वारा गैरनिगरानीकर्ता कमांक–2 के पक्ष में हुये नामांतरण आदेश को आक्षेपित करने की कोई अधिकारिता नहीं थी, चूंकि गैरनिगरानीकर्ता कमांक–2 ने आवंटन के 10 वर्ष के काफी समय बाद वादग्रस्त आराजी को दिनांक 29.9.14 को पंजीकृत विक्रय विलेख से क्रय किया है जो वैद्य अंतरण अभिलेख ओर इस विक्रय के आधार पर तहसीलदार द्वारा जो निगरानीकर्ता कमांक–2 के पक्ष में दिनांक 5.12.14 को नामांतरण प्रमाणित किया है उसमें कोई विधिक दोष दृष्टि गोचर नहीं होते हैं फलतः यह निगरानी ग्राह्यता के बिन्दु पर ही स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के आदेश दिनांक 12.7.16 और

अनुविभागीय अधिकारी तहसीलदार हुजूर जिला रीवा के आदेश दिनांक 6.11.15 निरस्त किया जाता है। परिणामस्वरूप तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा के न्यायालय से जो निगरानीकर्ता कमांक–2 के पक्ष में नामांतरण आदेश नामांतरण पंजी कमांक –1 से दिनांक 5.12.14 को पारित किया गया है वह बहाल किया जाता है उक्त विनिश्चय के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है ।

सदस्य